बीएलओ का प्रशिक्षण शुरू

बिलाड़ा. निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। कार्यक्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मृदुला शेखावत, तहसीलदार मुनेश कुमार एवं विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे।

जिलेभर में बीएलओ प्रशिक्षण सत्र जारी

मतदाता पहचान और गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पर दिया प्रशिक्षण

जोधपुर/नवज्योति।

भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (विशेष सारांश संशोधन)के अंतर्गत बीएलओ का प्रशिक्षण जारी है। यह प्रशिक्षण डीएलएमटी और एएलएमटी द्वारा दो पारियों में दिया जा रहा है। जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर (शहर-प्रथम) श्री उदयभानु चारण ने जानकारी दी कि गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र 124 शेरगढ़ में पंचायत समिति सभागार शेरगढ़ एवं सेखाला, 125 ओसियां में पंचायत समिति सभागार ओसियां और अम्बेडकर भवन तिंवरी, 126 भोपालगढ़ में पंचायत समिति सभागार भोपालगढ़, 127 सरदारपुरा में राबाउमावि लाल मैदान महामंदिर, 128 जोधपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित उछरफ हॉल, 129 सूरसागर में पीएम श्री राउमावि सिंवाची गेट द्वितीय पुलिया, 130 लूणी में पंचायत समिति सभागार पाल रोड और 131 बिलाड़ा में राजकीय आईटीआई कॉलेज के हॉल नंबर 01 व 02 में बीएलओ प्रशिक्षण आयोजित किया गया। चारण ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शेरगढ़ में 3, ओसियां में 1, सरदारपुरा में 1 तथा लूणी क्षेत्र में 4 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन विभाग द्वारा प्रतिदिन बीएलओ का मूल्यांकन किया जा रहा है। 80 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले बीएलओ को दोबारा रिविजन प्रशिक्षण से गुजरना होगा, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

जोधपुर, शुक्रवार 1 अगस्त 2025 दैनिक जलतेदीप

बीएलओ के लिए हुआ निर्वाचन प्रशिक्षण सत्र

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची सुधार की प्रक्रियाओं पर दिया गया ऑनलाइन अभ्यास

जोधपुर, 31 जुलाई (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण गांधी मैदान स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डीएलएसआर सभागार में तीन बैचों में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस गुरुवार, 31 जुलाई को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयभानु चारण तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार श्री सर्वेश्वर निम्बार्क उपस्थित रहे। इस दौरान डीएलएमटी प्रिन्स व्यास एवं एएलएमटी शकील अहमद, शौकत अली लोहिया, मुकेश अग्रवाल, योगेश जोशी, विकल्प गुप्ता, विक्रम परिहार एवं मनीष देव द्वारा बूथ स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण में निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई पीपीटी के माध्यम से बीएलओ की भूमिका व कर्तव्य, 2002 एवं 2025 की मतदाता सूचियों का तुलनात्मक विश्लेषण, मतदाता की पहचान की पुष्टि, आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु रोल प्ले सहित गणना फार्म भरने का अभ्यास, संदेह समाधान एवं ऑनलाईन मूल्यांकन शामिल रहे।

प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों से गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट एवं फीडबैक प्राप्त किया गया। सफल आयोजन में गुलाब रब्बानी, गौरव सिंह घाणेराव, सुरेश चौधरी एवं महिपाल चौधरी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

दैनिक भास्कर
जोधपुर/फलोदी भास्कर 01-08-2025

एसआईआर को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत व पालिका स्तर पर हैल्पिंग कमेटियों का गठन

एसडीएम बिलाड़ा की पहल पर जिले में सबसे पहले गठित हुई कमेटियां, अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश

भास्कर न्यूज | बिलाड़ा

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 (एसआईआर) को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका स्तर पर हेल्पिंग कमेटियों व हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इन समितियों की अध्यक्षता ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) तथा नगर पालिका स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सौंपी गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत की पहल पर जिले में सबसे पहले इस तरह की कमेटियों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 131-बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के तहत कदम उठाया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर की हेल्पिंग कमेटी में होंगे ये सदस्य: ग्राम पंचायत स्तर पर गठित हेल्पिंग कमेटी में अध्यक्ष पीईईओ होंगे और कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं जिनमें बीएलओ सुपरवाइजर, ग्राम विकास अधिकारी, वर्तमान व पूर्व बीएलओ, पीईईओ क्षेत्र के समस्त अध्यापक, संबंधित पटवारी, स्काउट व गाइड प्रतिनिधि, मनरेगा मेट, राशन डीलर तथा राजीविका कार्यकर्ता।

नगर पालिका स्तर पर गठित कमेटी में ये सदस्य होंगे: यहां अध्यक्ष की भूमिका संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य निभाएंगे। उनके साथ 8 सदस्य कमेटी में रहेंगे जिनमें बीएलओ सुपरवाइजर, संबंधित वार्डों के बीएलओ व पूर्व बीएलओ, वार्डों के अध्यापक, चक नंबर के पटवारी, स्काउट व गाइड, मनरेगा मेट तथा राशन डीलर को शामिल किया गया है। गठित समितियां विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाइजर्स से समन्वय स्थापित करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को सरल और प्रभावी बनाएंगी। साथ ही जरूरतमंद मतदाताओं को सहयोग, जानकारी व समाधान देने के लिए हेल्प डेस्क भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्र आयोजित किया जाएगा, ताकि सभी सदस्य अपनी भूमिकाओं व दायित्वों को भलीभांति समझ सकें और एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता व कुशलता से संपन्न करा सकें।

डूंगरपुर विधानसभा के 247 बीएलओ 25 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची सटीक पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाने के उद्देश्य से डूंगरपुर विधानसभा की नियुक्ति बीएलओ और सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण गुरुवार को आयोजित हुआ। वीर बाल कालीबाई कन्या राजकीय महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में डूंगरपुर विधानसभा के नियुक्त 247 बीएलओ एवं 25 सुपरवाइजर को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी सागवाड़ा बाबूलाल जाट ने कहा कि सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठापूर्वक कार्य करें। उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सांवरलाल आबसरा ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर सर्वे द्वारा पात्र मतदाताओं को जोड़े एवं कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। इस दौरान दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक, विधानसभा डूंगरपुर के नियुक्त समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

247 बीएलओ और 25 सुपरवाइजर को प्रशिक्षण

डूंगरपुर| स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त 247 बीएलओ और 25 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण गुरुवार को वीरबाला कालीबाई कन्या राजकीय कॉलेज में हुआ। प्रशिक्षण में पीपीटी के माध्यम से सभी को जरूरी जानकारी दी। प्रशिक्षण में उपखंड अधिकारी सागवाड़ा बाबूलाल जाट ने कहा कि सभी बीएलओ और सुपरवाइजर आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से कार्य करें। उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सांवरलाल आबसरा ने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करें। पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाए। कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक सहित सभी बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

मूल्यांकन में कम नंबर वालों का प्रशिक्षण आज

निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देश पर 28 से 31 जुलाई तक विधानसभावार बीएलओ और सुपरवाइजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया। विभाग ने रिजल्ट शीट जारी की है। इसमें जिन बीएलओ और सुपरवाइजर को 35 से कम अंक मिले हैं, उनका पुन प्रशिक्षण 1 अगस्त को सुबह 9 बजे वीरबाला कालीबाई कन्या राजकीय कॉलेज में होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेशचंद्र धाकड़ ने कहा कि जिन बीएलओ और सुपरवाइजर को कम अंक मिले हैं।

सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर निर्देशानुसार निष्ठापूर्वक कार्य करें : जाट

247 बीएलओ, 25 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची सटीक पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाने के उद्देश्य से डूंगरपुर विधानसभा की नियुक्ति बीएलओ और सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण गुरुवार को आयोजित हुआ।

वीर बाला कालीबाई कन्या राजकीय महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में डूंगरपुर विधानसभा के नियुक्त 247 बीएलओ एवं 25 सुपरवाइजर को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी सागवाड़ा बाबूलाल जाट ने कहा कि सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठापूर्वक कार्य करें। उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सांवरलाल आबसरा ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर सर्वे द्वारा पात्र मतदाताओं को जोड़े एवं कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। इस दौरान दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक, विधानसभा डूंगरपुर के नियुक्त समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

दी चुनाव संबंधी जानकारियां

बीएलओ प्रशिक्षण आयोजित

प्रतापगढ़ @ पत्रिका. निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी प्रतापगढ़ अश्विन मालू ने बताया कि गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के मतदान केन्द्र संख्या 101 से मतदान केन्द्र संख्या 150 के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण सभागार जिला परिषद् प्रतापगढ़ एवं मतदान केन्द्र संख्या 251 से मतदान केन्द्र संख्या 274 तक के बीएलओ एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण सभागार, पंचायत समिति अरनोद में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ एवं सुपरवाईजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए इनुमरेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बीएलओ एवं सुपरवाईजर को विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक मतदाता से लिए जाने वाले 11 दस्तावेजो के बारे में भी बताया गया।

दैनिक नवज्योति

Chittorgarh-Pratapgarh - 01 Aug 2025 - Page 6

निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों की बैठक

मतदाता सूची शुद्धिकरण, बूथ अभिकर्ता नियुक्ति और तकनीकी साधनों की जानकारी साझा

नवज्योति ब्यूरो, प्रतापगढ़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार गुरुवार को प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों की बैठक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, मतदाता सूची में त्रुटिरहित पंजीकरण सुनिश्चित करना, तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति सुनिश्चित करना रहा। निर्वाचक नामावली पदाधिकारी अश्विन मालू ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कुल 274 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 2 लाख 68 हजार 970 मतदाता पंजीबद्ध हैं। इनमें 1 लाख 34 हजार 60 पुरुष, 1 लाख 34 हजार 907 महिलाएं एवं 3 अन्य मतदाता हैं। वर्तमान में लिंग अनुपात 1006 और मतदाता-जनसंख्या अनुपात 665 है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने व विवरण संशोधन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 11 प्रकार के प्रमाण-पत्रों के बारे में बताया। यह भी स्पष्ट किया कि आधार पहचान पत्र को इस प्रक्रिया में वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। बैठक में बताया कि 54 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिनमें मतदाता संख्या 1200 से अधिक है। चुनाव प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे मतदाता सहायता एप्लिकेशन, सुविधा, सक्षम, सी-विजिल, अपना प्रत्याशी जानें, शिकायत निवारण मंच आदि के उपयोग के बारे में प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। निर्वाचन विभाग ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे शीघ्र अपने-अपने बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त कर नामांकित करें, ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रभावी रूप से पूर्ण किया जा सके। इस दौरान प्रतिनिधियों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। बैठक में भाजपा से भंवरसिंह सिसोदिया, कांग्रेस से गोपालसिंह बाठी, बसपा से केशुलाल मीणा व भारत आदिवासी पार्टी से मुकेश बरोड़ उपस्थित रहे।

दैनिक नवज्योति

विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें 2488381, 82, 83

CLASSIFIED

दैनिक नवज्योति

Chittorgarh-Pratapgarh - 01 Aug 2025 - Page 6

बीएलओ को दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

नवज्योति ब्यूरो, प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़-172 के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया के निर्देशन में आयोजित हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) अश्विन मालू ने बताया कि 31 जुलाई को मतदान केंद्र क्रमांक 101 से 150 तक के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार प्रतापगढ़ में तथा केंद्र क्रमांक 251 से 274 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पंचायत समिति अरनोद में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। बीएलओ को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-06, संशोधन हेतु फॉर्म-08 तथा नाम विलोपन के लिए फॉर्म-07 की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही, बीएलओ एप का उपयोग, इन्यूमरेशन फॉर्म और मतदाता से लिए जाने वाले 11 आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। सभी बीएलओ और सुपरवाइजर का ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश पाण्ड्या, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नितिन मेरावत एवं महावीर प्रसाद जैन उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर बीएलओ को उनके दायित्वों के प्रति सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए।

दैनिक नवज्योति

Chittorgarh-Pratapgarh - 01 Aug 2025 - Page 6

बीएलओ को दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

नवज्योति ब्यूरो, प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़-172 के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया के निर्देशन में आयोजित हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) अश्विन मालू ने बताया कि 31 जुलाई को मतदान केंद्र क्रमांक 101 से 150 तक के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार प्रतापगढ़ में तथा केंद्र क्रमांक 251 से 274 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पंचायत समिति अरनोद में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। बीएलओ को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-06, संशोधन हेतु फॉर्म-08 तथा नाम विलोपन के लिए फॉर्म-07 की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही, बीएलओ एप का उपयोग, इन्यूमरेशन फॉर्म और मतदाता से लिए जाने वाले 11 आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। सभी बीएलओ और सुपरवाइजर का ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश पाण्ड्या, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नितिन मेरावत एवं महावीर प्रसाद जैन उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर बीएलओ को उनके दायित्वों के प्रति सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए।

दैनिक भास्कर
प्रतापगढ़ 01-08-2025

बीएलओ को मिला विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

प्रतापगढ़ | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़-172 के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण दो स्थानों पर हुआ। जिला परिषद सभागार प्रतापगढ़ में मतदान केन्द्र 101 से 150 तक तथा पंचायत समिति सभागार अरनोद में केन्द्र 251 से 274 तक के बीएलओ और सुपरवाइजर शामिल हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अश्विन माली ने बताया कि प्रशिक्षण में इनुमरेशन फॉर्म, बीएलओ एप, और मतदाता दस्तावेजों की सूची सहित फॉर्म-6 (नाम जोड़ना), फॉर्म-7 (नाम हटाना), और फॉर्म-8 (संशोधन) की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के अंत में सभी बीएलओ व सुपरवाइजर की ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया व उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश पांडेय ने निरीक्षण कर बीएलओ को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों से अवगत कराया।

पत्रिका

विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर के बीएलओ का प्रशिक्षण

कोटा. भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर के चतुर्थ बैच के बीएलओ का एक दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सिआम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कोटा उत्तर हुंकम कंवर ने निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता का सत्यापन बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा अथवा स्वयं मतदाता ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरकर अपनी जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही, इस प्रपत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज : निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 1 जनवरी 2002 की गहन पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली को आधार माना गया है। जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में पूर्व से सम्मिलित हैं, उन्हें केवल नवीनतम फोटो ही उपलब्ध करवाना है और किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मतदाताओं की जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से पूर्व की है, उन्हें फोटो के साथ केवल एक दस्तावेज देना होगा, वहीं जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य है, उन्हें दो दस्तावेज स्वयं तथा माता या पिता का प्रमाण देना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के पश्चात हुआ है, उन्हें तीन दस्तावेज स्वयं, माता एवं पिता से संबंधित उपलब्ध करवाने होंगे।

01/08/2025 | Kota | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर
कोटा 01-08-2025

विशेष पुनरीक्षण • 2002 की सूची में नाम तो नया फोटो ही देना पड़ेगा

जनवरी 2002 की मतदाता सूची के आधार पर होगा एसआईआर, बीएलओ को प्रशिक्षण

मतदाता सूचि पुनरीक्षण के लिए प्रशिक्षण लेते बीएलओ।

सिटी रिपोर्टर | कोटा

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में जल्दी ही मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) शुरू होने वाला है। इसके लिए विधानसभावार बैच बनाकर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटा में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। उत्तर विधानसभा के चौथे बैच के बीएलओ को गुरुवार को सिआम ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया।

निर्वाचक पंजीयन अधिकारी हुक्म कंवर ने प्रक्रिया के बारे में बीएलओ को जानकारी दी। कहा कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक मतदाता का सत्यापन बीएलओ के माध्यम एवं स्वयं मतदाता ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरकर कर सकेगा। उक्त गणना प्रपत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए 1 जनवरी 2002 की गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली को आधार बनाया गया है, जो सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि 2002 की मतदाता सूची का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपने भाग क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें और अपने मतदाताओं की श्रेणी चिह्नित कर सूचना कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। मास्टर ट्रेनर सियाराम गोचर, प्रदीप मेघवाल एवं अनूप सक्सेना ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

नई गाइडलाइन

- जिन मतदाताओं का नाम 2002 की गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में है, उन मतदाताओं को केवल नया फोटो ही उपलब्ध करवाना है, अन्य कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
- जिन मतदाताओं की जन्म दिनांक 1 जुलाई 1987 से पूर्व की है, उन मतदाताओं को फोटो के साथ निर्धारित दस्तावेज में से केवल 1 दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।
- जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, ऐसे मतदाता को 2 दस्तावेज (स्वयं एवं माता या पिता) का उपलब्ध करवाना होगा।
- जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें 3 दस्तावेज (स्वयं, माता व पिता) उपलब्ध करवाने होंगे।

लसाड़िया में बीएलओ का प्रशिक्षण आयोजित

राजस्थान दर्शन

लसाड़िया। एक दिवसीय बीएलओ एवं सुपरवाईजर प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वरिष्ठ सहायक शंकर लाल पटेल ने बताया कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार बीएलओ एवं सुपरवाईजर का निर्धारित कार्यक्रमानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु प्रशिक्षण दिनांक 30 एवं 31 जुलाई को तहसील लसाड़िया के 77 बीएलओ एवं 8 सुपरवाईजर करवाया गया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर राजेन्द्र प्रसाद मीणा, राजेन्द्र कुमार प्रजापत एवं पंकज रेगर द्वारा करवाया गया। उक्त प्रशिक्षण में उपखण्ड़ अधिकारी धर्मेंन्द्र वर्मा एवं तहसीलदार रामजी लाल गुर्जर द्वारा समस्त बीएलओ एवं सुपरवाईजर को निर्वाचन विभाग के समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने बीएलओ का कार्य सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिए निर्देश

तीन दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण सम्पन्न

चुनाव महत्वपूर्ण कार्य व मतदाता सूची विशेष कड़ीः एसडीएम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

निवाई. बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजर्स का तीन दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हुआ। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं निवाई एसडीएम रामकरण सिंह ने बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजर्स को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है।तथा चुनाव में प्रत्येक मतदाता को मतदान का अधिकार है।इसलिए मतदाता सूची चुनाव की महत्वपूर्ण कड़ी है।बूथ लेवल अधिकारी व सुपरवाइजर दोनों चुनाव कार्यक्रम के सजग प्रहरी है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियो को गणना पत्र भरने में सावधानी बरतने पर पर विशेष जोर दिया।दक्ष प्रशिक्षण त्रिलोकचंद जैन, सीताराम शर्मा, बनवारीलाल मिश्रा ने बीएलओ व सुपरवाजर्स को विशेष गहन पुनरीक्षण गणना प्रपत्र का वह भाग जो मतदाताओं द्वारा भरा जाने, मतदाता द्वारा घोषणा, मतदाताओं से तीन प्रकार के दस्तावेज लेने, ड्रॉप रोल का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों की अवधि, बूथ जागरूकता समूह के सदस्य, मतदाताओं के मकान का नजारी नक्शा बनाना आदि का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजरों ने विशेष ग्रहण पुनरीक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में सवाल पूछे। इस पर दक्ष प्रशिक्षकों ने उनके सवालों का जवाब देकर समस्याओं का समाधान बताया। इस दौरान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी निर्वाचन कार्यालय के तहसीलदार बीएल जांगिड़, चुनाव प्रभारी अमित जोशी, जितेंद्र माथुर, नरेश मीणा, अजय मीणा, अंकित सबनानी सहित क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर्स एवं बूथ लेवल अधिकारी मौजूद थे।

निवाई. प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बीएलओ और सुपरवाजर्स।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारंभ

जननायक | निम्बाहेड़ा। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-170 के अंतर्गत आने वाले उपखण्ड क्षेत्र-निम्बाहेड़ा एवं छोटीसादड़ी के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का दो दिवसीय समूहवार प्रशिक्षण गुरूवार से प्रारंभ हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया की यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जुलाई से 01 अगस्त तक प्रातः 09:30 से 6:00 बजे तक दो पारियों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। गुरूवार को पहले दिन भाग संख्या 01 से 50 एवं 51 से 100 तक के बीएलओ समूह 1 व 2 का प्रशिक्षण पीएमश्री राउमावि निम्बाहेड़ा में, भाग संख्या 101 से 150 एवं 151 से 174 तक के बीएलओ समूह 3 व 4 का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार निम्बाहेड़ा में संपन्न हुआ। शुक्रवार 01 अगस्त को छोटीसादड़ी उपखंड के भाग संख्या 175 से 295 तक के बीएलओ समूह 5 व 6 का प्रषिक्षण दो पारियों में पंचायत समिति सभागार छोटीसादड़ी में आयोजित किया जाएगा। गुरूवार को आयोजित शिविर में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विकास पंचोली की उपस्थिति में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों का शोधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरीक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। प्रशिक्षण में बताया गया कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.एल.ओ. द्वारा सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा जो मतदाता को स्वयं के द्वारा भरा जाना है, गणना प्रपत्र के साथ लगाये जाने वाले 11 दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गयी।

चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अगस्त से, तैयारियां जोरों पर

पत्रिका
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बड़ीसादड़ी. भारत निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अगस्त माह में शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इसको लेकर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मंगलवार से शनिवार तक स्थानीय पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में रोज 75 बीएलओ को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण एएलएमटी बाबूलाल पोरवाल, सुभाषचंद्र बुनकर, पूरणमल पंवार और सवाई लाल मीणा, साथ ही तकनीकी सहायक ओमप्रकाश जणवा और हितेश वैष्णव की ओर से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद पांच 5 अगस्त से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण का काम शुरू होने की उम्मीद है।

दस्तावेजों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में था, उन्हें किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। 2002 की मतदाता सूची की कॉपी सभी बीएलओ के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध रहेगी। जिन मतदाताओं का जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है, लेकिन उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपना कोई पहचान पत्र देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना दस्तावेज और माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना, अपनी माता का और अपने पिता का - कुल तीन दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेजों की पूरी सूची गणना प्रपत्र में दी जाएगी। हालांकि, अगर किसी मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और उनके माता-पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उन्हें कोई अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यह पूरा कार्य मतदाता स्वयं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकेंगे।

मतदाताओं को घर-घर जाकर मिलेंगे बीएलओ

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ प्रत्येक पंजीकृत मतदाता के घर जाकर उन्हें दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं को इस प्रपत्र में अपनी जानकारी जैसे पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरकर और पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर निर्धारित समय में बीएलओ को वापस लौटाना होगा। एक प्रति मतदाता पावती के रूप में अपने पास रख सकेंगे।

नाम कटने से बचें

यदि कोई मतदाता निर्धारित समय सीमा में गणना प्रपत्र जमा नहीं करता है, तो उनका नाम जनवरी 2026 में प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रह में बीएलओ को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम और बीएलए जैसी सहयोगी संस्थाओं से मदद मिलेगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी आदेश जारी करेंगे।

सीधा सवाल

01 अगस्त 2025
पेज नंबर 01

निम्बाहेड़ा में बीएलओ का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की ली जा रही क्लास

सीधा सवाल। निम्बाहेड़ा। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-170 के तहत चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार से बीएलओ और पर्यवेक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों में पारदर्शिता लाना और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज सुनिश्चित करना है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि 31 जुलाई व 1 अगस्त को सुबह 9य्द्ध30 से शाम 6 बजे तक दो पारियों में प्रशिक्षण चल रहा है। पहले दिन गुरुवार को भाग संख्या 01 से 100 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पीएमश्री राउमावि, निम्बाहेड़ा में और भाग संख्या 101 से 174 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुआ।

आज छोटीसादड़ी के बीएलओ की बारी

शुक्रवार को छोटीसादड़ी उपखंड के भाग संख्या 175 से 295 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार, छोटीसादड़ी में आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो समूहों में दो पारियों में होगा।

गणना प्रपत्र और दस्तावेजों की दी जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को बताया गया कि वे मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, जिसे स्वयं मतदाता को भरना होगा। इसके साथ ही 11 प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई जो प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे। कार्यक्रम में अधिकारी विकास पंचोली की उपस्थिति में बीएलओ को आयोग द्वारा निर्धारित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह अभियान पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

निर्वाचन अधिकारी ने की बीएलओ प्रशिक्षण की जांच

भास्कर न्यूज | डीडवाना

पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में उपखंड अधिकारी कार्यालय में चल रहे बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत द्वारा किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सही समय पर पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रक्रिया के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर रघुवीर सिंह शेखावत एवं तंवर सिंह द्वारा दिया गया।

कलक्टर ने किया बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण

डीडवाना,(हुक्मनामा समाचार)। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्ढ्ढक्र)के संबंध में उपखंड अधिकारी कार्यालय में चल रहे बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत द्वारा किया गया।इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सही समय पर पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रक्रिया के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।इस दौरान प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर रघुवीर सिंह शेखावत एवं तंवर सिंह द्वारा दिया गया।

जिला कलक्टर ने किया बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण

डीडवाना @ पत्रिका . शहर के उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में चल रहे गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के संबंध में बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत द्वारा किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सही समय पर पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रक्रिया के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर रघुवीर सिंह शेखावत एवं तंवर सिंह द्वारा दिया गया।

मेघावास स्कूल में जागरूक मतदाता कार्ड खेल से बढ़ी छात्रों की समझ

भास्कर न्यूज | बालोतरा

समीपवर्ती राउमावि मेघावास में गुरुवार को स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के तहत जागरूक मतदाता कार्ड खेल का आयोजन हुआ। इस अनूठी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए, विशेष रूप से नोटा के महत्व को समझाना था।

संस्था प्रधान केसरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि एक जागरूक मतदाता के लिए सही उम्मीदवार के चयन की समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया। राजपुरोहित ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं विकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग और भी सोच-समझकर कर सकें।

क्लब सह-प्रभारी ओमप्रकाश ने निर्वाचन प्रक्रिया में नोटा के इतिहास, उपयोग व महत्व के बारे में सभी क्लब सदस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि यह विकल्प मतदाताओं को यह व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है कि वे चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हैं।

नोटा व सही उम्मीदवार के चयन के प्रति विद्यार्थियों की समझ विकसित करने के लिए फ्लैश कार्ड्स के खेल का आयोजन किया गया।

इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक रफीक ने नोटा पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नोटा के प्रति अपनी समझ को प्रायोगिक रूप से परखा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम लालसिंह, द्वितीय दीपक व तृतीय पूजा रही। इस गतिविधि के आयोजन में सुखी देवी व किरण वैष्णव का सक्रिय सहयोग रहा।

मेघावास विद्यालय में जागरूक मतदाता कार्ड खेल से बढ़ी छात्रों की चुनावी समझ, नोटा पर हुई विशेष चर्चा

नवज्योति/बालोतरा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघावास में गुरूवार को स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के तहत जागरूक मतदाता कार्ड खेल का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए, विशेष रूप से नोटा के महत्व को समझाना था। संस्था प्रधान केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि एक जागरूक मतदाता के लिए सही उम्मीदवार के चयन की समझ अत्यंत आवश्यक है। क्लब सह-प्रभारी ओमप्रकाश ने निर्वाचन प्रक्रिया में नोटा के इतिहास, उपयोग और महत्व के बारे में सभी क्लब सदस्यों को समझाया। इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक रफीक ने नोटा पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नोटा के प्रति अपनी समझ को प्रायोगिक रूप से परखा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लाल सिंह ने प्रथम, दीपक ने द्वितीय और पूजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस गतिविधि के आयोजन में सुखी देवी और किरण वैष्णव का सक्रिय सहयोग रहा।

मेघावास विद्यालय में जागरूक मतदाता कार्ड खेल से बढ़ी छात्रों की चुनावी समझ, नोटा पर हुई विशेष चर्चा

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघावास में गुरूवार को स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के तहत जागरूक मतदाता कार्ड खेल का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए, विशेष रूप से नोटा के महत्व को समझाना था।

सही उम्मीदवार के चयन की समझ मतदाता के लिए आवश्यक है - केसर सिंह राजपुरोहित

संस्था प्रधान केसर सिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को बताया कि एक जागरूक मतदाता के लिए सही उम्मीदवार के चयन की समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया।

राजपुरोहित ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं विकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग और भी सोच-समझकर कर सकें। क्लब सह-प्रभारी ओमप्रकाश ने निर्वाचन प्रक्रिया में नोटा के इतिहास, उपयोग और महत्व के बारे में सभी क्लब सदस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि यह विकल्प मतदाताओं को यह व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है कि वे चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हैं।

फ्लैश कार्ड खेल और प्रश्नोत्तरी से हुआ मूल्यांकन

नोटा और सही उम्मीदवार के चयन के प्रति विद्यार्थियों की समझ विकसित करने के लिए फ्लैश कार्ड्स के खेल का आयोजन किया गया।

इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक रफीक ने नोटा पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नोटा के प्रति अपनी समझ को प्रायोगिक रूप से परखा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लाल सिंह ने प्रथम, दीपक ने द्वितीय और पूजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस गतिविधि के आयोजन में सुखी देवी और किरण वैष्णव का सक्रिय सहयोग रहा।

मेघावास विद्यालय में जागरूक मतदाता कार्ड खेल से बढ़ी छात्रों की चुनावी समझ, नोटा पर हुई विशेष चर्चा

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघावास में गुरुवार को स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के तहत जागरूक मतदाता कार्ड खेल का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए, विशेष रूप से नोटा के महत्व को समझाना था।

सही उम्मीदवार के चयन की समझ मतदाता के लिए आवश्यक है - केसर सिंह राजपुरोहित

संस्था प्रधान केसर सिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को बताया कि एक जागरूक मतदाता के लिए सही उम्मीदवार के चयन की समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया। राजपुरोहित ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं विकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग और भी सोच-समझकर कर सकें। क्लब सह-प्रभारी ओमप्रकाश ने निर्वाचन प्रक्रिया में नोटा के इतिहास, उपयोग और महत्व के बारे में सभी क्लब सदस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि यह विकल्प मतदाताओं को यह व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है कि वे चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हैं।

फ्लैश कार्ड खेल और प्रश्नोत्तरी से हुआ मूल्यांकन

नोटा और सही उम्मीदवार के चयन के प्रति विद्यार्थियों की समझ विकसित करने के लिए फ्लैश कार्ड्स के खेल का आयोजन किया गया। इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक रफीक ने नोटा पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नोटा के प्रति अपनी समझ को प्रायोगिक रूप से परखा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लाल सिंह ने प्रथम, दीपक ने द्वितीय और पूजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस गतिविधि के आयोजन में सुखी देवी और किरण वैष्णव का सक्रिय सहयोग रहा।

बीएलओ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करें: एडीएम

कल्याणपुर . सभागार में बीएलओ को एसआईआर की जानकारी देते हुए

भास्कर न्यूज | कल्याणपुर

पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई।

एडीएम गुंजन सोनी ने बूथ लेवल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों को कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए मृतक मतदाता, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाता, दो स्थानों पर वोट करने वाले मतदाता के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण में पृथक करना आवश्यक है।

उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं के नाम जोड़ कर समय पर मतदाता सूचियां तैयार करें। फार्म संकलन, जन्मतिथि सत्यापन, मतदाता सहायता व बुजर्ग, दिव्यांग मतदाताओं को लेकर सभी को व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। तहसीलदार प्रवीण कुमार चौधरी ने कहा कि फार्म को नियमों के अनुसार जांचकर ही स्वीकार व अस्वीकार किया जाएं। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर शंका हो तो तुरंत मास्टर ट्रेनर या वरिष्ठ अधिकारी से बात कर स्पष्ट करे। इस दौरान बीएलओ मोहनराम देवासी, पप्पूसिंह सरवड़ी, डूंगरसिंह कांकराला, रणवीरसिंह अराबा, गणेशराम बागलोप आदि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर
मेड़ता भास्कर 01-08-2025

मतदान पूर्व तैयारी • निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेड़ता सिटी पंचायत समिति में आयोजन

मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण शिविर, प्रश्नोत्तर से समस्या का समाधान

भास्कर न्यूज़ | मेड़ता सिटी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को मेड़ता सिटी पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को बीएलओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने की। प्रशिक्षण में मौजूद बीएलओ को अद्यतन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, गणना प्रपत्र भरने की विधि सहित तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में बीएलओ का ऑनलाइन मूल्यांकन भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान डीएलएमटी राजेंद्र प्रसाद चौहान ने बताया कि मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मतदाता से आवश्यक दस्तावेज लेकर मतदाता का नाम, पता, आयु व अन्य विवरणों का अद्यतन किया जाएगा। बीएलओ प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक बाबूलाल डांगा ने बीएलओ की समस्याओं का समाधान प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया।

बीएलओ की समस्याएं सुनी गईं, प्रश्नोत्तर सत्र में हुआ संवाद

मेड़ता सिटी. पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण शिविर में मौजूद बीएलओ।

2002 की मतदाता सूची होगी मान्य, ऑनलाइन पोर्टल से नाम अपडेट कर सकेंगे मतदाता

प्रशिक्षण के दौरान दक्ष प्रशिक्षक सूरज नारायण चौहान ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल नाम आज भी पहचान के रूप में मान्य हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम 2002 की सूची में है, तो वह सीईओ राजस्थान पोर्टल से सूची निकालकर संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत कर सकता है ताकि उसका नाम पुनः सूची में जोड़ा जा सके।

दूसरे प्रशिक्षक रामकिशोर व दिनेश कुमार ने बताया कि गणना प्रपत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भर सकते हैं। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक घर-घर जाकर सत्यापन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। इस दौरान प्रशिक्षण से जुड़े तकनीकी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार ही कार्य कर गलतियों से बचें और एक त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जाए।

पत्रिका

वोटर को 11 में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी

बीएलओ को प्रशिक्षण दिया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जायल. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद बीएलओ।

जायल. उपखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा के भाग संख्या 155 से भाग 207 तक के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी रजत ने बताया कि बीएलओ को 2025 की मतदाता सूची के सभी मतदाताओं का शत प्रतिशत सत्यापन करके ही ड्राफ्ट तैयार करना है। प्रशिक्षक उमरदीन छींपा, शिवचरण बिडियासर, दिनेश शर्मा ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत होने वाले पुनरीक्षण के तहत निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन करने के लिए समस्त मतदाताओं की तीन श्रेणियों में वांछित दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी पहचान-पत्र/पेंशन संदाय आदेश, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी / एलआईसी 1-7-1987 से पूर्व जारी पासबुक/प्रमाणपत्र/दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी राज्य या केन्द्रीय बोर्ड से जारी मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से जारी पारिवारिक रजिस्टर, सरकार से जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र संबंधित कोई भी एक दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करवाने हैं।

जिन मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची में है उन्हें उस सूची के अपने नाम के अंश के पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि के अलावा और कोई दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ कार्यालय से पूर्व में छपे हुए गणना प्रपत्र के माध्यम से सूची तैयार करना है। गणना प्रपत्र में मतदाता को अपने दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध करवाना है। मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र निर्वाचन आयोग की साइट पर अपलोड कर सकता है। इसके बाद ईआरओनेट के माध्यम से मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। गणना प्रपत्र जमा नहीं होने की स्थिति में ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं छपेगा।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियां का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा

ढोलामारू न्यूज

मेड़ता सिटी के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी मेड़ता के अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।डीएलएमटी राजेंद्र प्रसाद चौहान ने बताया की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी इस संबंध में प्रत्येक मतदाता से आवश्यक दस्तावेज लेकर मतदाता सूची का अद्यतन किया जाएगा। दक्ष प्रशिक्षक सूरज नारायण चौहान ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल नाम पहचान के रूप में मान्य है अगर किसी मतदाता का नाम वर्ष 2002 की सूची में है तो वह ऑनलाइन सीईओ राजस्थान पोर्टल से मतदाता सूची निकाल कर मतदाता सूची में नाम अद्यतन के लिए बीएलओ को प्रस्तुत कर सकता है। दक्ष प्रशिक्षक रामकिशोर और दिनेश कुमार ने बताया कि गणना प्रपत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड से भी भरा जा सकता है।

प्रशिक्षण के पश्चात बीएलओ से प्रश्न उत्तर से समस्याओं का समाधान बाबू लाल डांगा द्वारा किया गया। हरदेवराम रामदेव बलदेव राम बजरंग बालोटिया और उपखंड कार्यालय से डिंपल शर्मा, सीताराम डांगा उपस्थित रहे।

उपखंड अधिकारी श्रीमती पूनम चौयल द्वारा प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण कर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुचारू बताया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गलती रहित मतदाता सूची तैयार करें।